भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकार की संकल्पना

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी
शिक्षा संकाय
आर0बी0एस0 कालेज, आगरा

सारांश–

हमारा देश एक ऐसे लोकतांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष समाज के रूप में विकसित हुआ है जिसमें विभिन्न समुदाय एवं सम्प्रदाय के लोग सद्भावना एवं शांति के साथ निवास करते हैं। प्रत्येक समुदाय या सम्प्रदाय को अपने धर्म एवं संस्कृति को मानने एवं अंतःकरण की अबाध रूप से आजादी ही हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष एवं संविधान को व्यवस्थित एवं सर्वहित्वादी बनता है। व्यवस्थित प्रक्रम में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है यदि हम यह कहें कि धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज संसार में हर देश में विभिन्न जाति एवं धर्मों के लोग रहते हैं और जिस देश ने अपने यहाँ अपने नागरिकों में मानवाधिकार जागरूकता एवं धार्मिक सहिष्णुता के मूल्यों में ढाला है। वह देश काफी वृद्धि एवं विकास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। अतः यह आवश्यक है कि यहां धर्मनिरपेक्षता एवं मूल मानवीय अधिकारों की संरक्षण जैसी विचारधारा को स्वीकार किया जाये क्योंकि स्वतंत्रा पूर्व एवं पश्चात साम्प्रदायिक तनावों एवं देश विभाजन ने इस विचार धारा को और अधिक हठ किया और इन मूल्यों को अपनाने का संकल्प दिया।

मुख्य शब्द– धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार

प्रस्तावना–

मानवाधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता सभ्य समाज की आधारशिला है। यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में है जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। चाहे वह किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में क्यों न हो, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना है। मानवाधिकार प्रत्येक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो इसकी अनिवार्यता और भी बढ़ जाती है जहां अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जहाता है कि राज्य अपने नागरिकों को उनके अधिकारों एवं मूल्यों की जानकारी दें और विविध धार्मिक मान्यता वाले देश में धर्मनिरपेक्षता जैसे सामाजिक मूल्यों को जनमानस में रोपित करने का प्रयास करे। वर्तमान में यह एक बड़ा सवाल है कि राज्य सरकारों को धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से सम्बन्धित न होना अतः धर्म से सम्बन्धित नहीं का अर्थ यह कतई नहीं कि धर्म विरोधी होना बल्कि न धार्मिक न अधार्मिक न धर्म विरोधी है। वस्तुतः यह शब्द धार्मिक रूढ़ियों से विमुक्ति का सूचक है। यह विचारधारा धर्म को एक वैयक्तिक मामला मानती है और व्यक्ति के क्या धार्मिक विचार या विश्वास है, इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जिस राष्ट्र/राज्य में धर्म निरपेक्षता को अपनाया जाता है वहां ऐसा माना जाता है कि राज्य धर्म एक दूसरे के मामले से दूर रहेंगे और एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस अवधारणा में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और तभी मानव अपने अधिकारों को रक्षित कर पायेगा अतः कहीं न कहीं राज्य द्वारा उठाये गये नैसर्गिक कदम ही धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देंगे।

उद्भव एवं विकास–

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसों ने आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व लिखा था ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर सर्वत्र ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'' अपनी इस स्वतंत्र चेतना को रूसों ने शोषण, असमानता, समता के बंधनों में कैद उस मानव को स्वतंत्रता की तथा समानता के जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत रहा है। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिज्ञ आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने की जिनमें वह जकड़ा रहा है उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसो ''स्वाभाविक और अविभाज्य समझते थे''। अतः यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिये उपयोगी कार्य कर सकता है। लोकतंत्र, निष्पक्ष न्याय, धर्मनिरपेक्षता इन अधिकारों के कार्यान्वयन को सरल बनाती है।

आज भी समाज में कहीं न कहीं उनके उल्लंघनों की बात भी सामने आती रहती है और जहां कहीं भी लोगों को आर्थिक, भौतिक तथा राजनीतिक संसाधनों से वंचित रखा जाता है। वहां पर स्वाभाविक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक समावेशन की कमी आ जाती है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अपने अन्दर उच्च आदर्शों एवं मूल्यों को समाहित किया जिसमें, सामाजिक न्याय, एवं सर्वोत्तम मानवीय दशाओं को बढ़ावा मिल सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विभाजन के बाद जहां पाकिस्तान एक ओर धार्मिक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ है वहीं भारत में जहां हिन्दुओं का बहुमत था, धर्मनिरपेक्ष ढांचे से मुंह नहीं मोड़ा और उसने धर्म निरपेक्षता को ही चुना, भारतीय संविधान ने विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्ति तथा धर्म, एक धर्म तथा दूसरे धर्म, धर्म एवं राज्य तथा राज्य और व्यक्ति के जीवन सम्बन्धों के आधार पर मुखरित किया है और स्वतंत्रता के प्रावधान, मानव अधिकार की व्याख्या एवं व्यवस्था, अवसरों की एकता एवं समानता, भेदभाव के विरूद्ध बचाव की व्यवस्था, धार्मिक आधार पर मतदाता सूचियों को 325 के जरिए खत्म करने जैसे कार्य इसे ऐसे महानतम उँचाईयों तक ले जाते हैं जहां पर किसी अन्य देश के संविधान की दूर–दूर तक आहट भी सुनाई नहीं देती है।

साहित्यावलोकन–

❖ **जैन, योगेशचन्द्र (2011)** ने अपने निबन्ध लेख *''हमारी सामाजिक समस्याएं'' में साम्प्रदायिकता को सभी समस्याओं के मूल में बताया है और साम्प्रदायिकता को खत्म करने में धर्म निरपेक्षता की तरफ अग्रसर होना ही एक सर्वश्रेष्ठ कदम बताया है।''*

❖ **भट्ट केनी जैस (शोध 2006 भावनगर विश्वविद्यालय)** ने *''अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित मानवाधिकार प्रावधानों का भारत में महिलाओं के लिये अब तक किये गये प्रयासों का अध्ययन''* शोध कार्य किया तथा निष्कर्ष निकाला की भारत में मानवाधिकार को लेकर बहुत से प्रयास किये गये परन्तु जागरूकता और प्रशासनिक मान्यता के कारण सफलता हाथ नहीं लग पा रही।

❖ **देवी ममता (2010)** ने अपने शोध *''नारी मानवाधिकार के संवर्धन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका : रोहतक जिले के विशेष संदर्भ में''* महिलाओं की स्थिति को विभिन्न आयामों में जाँचने की कोशिश की और पाया कि महिला हिंसा, लिंग भेद, भ्रूण हत्या, छेड़छाड़ बलात्कार की घटनायें रोहतक जिले में तेजी से बढ़ी है और पुलिस ने इसके निपटारे के लिये वूमैन हेल्पलाइन को बढ़ावा दिया है।

❖ **कृष्णा राधे (2011)** ने अपने शोध *''ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया''* में पाया कि भारत के प्रजातांत्रिक प्रणाली ने और संविधान द्वारा मानवाधिकारों की महत्ता देना अन्य कई देशों से भारत को अग्रणी बनाता है परन्तु फिर भी हमें सभी के अधिकारों का संरक्षण करके अधिकारपूर्वक नागरिक सशक्तीकरण एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मूलभूत प्रयास करने होंगे जिससे नागरिक सहर्ष जीवन यापन कर सकें।

❖ **कौर0एस0 (2015)** ने *पी0एस0ई0बी0 और सी0बी0एस0ई0 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में मानवाधिकार जागरूकता का अध्ययन किया और निष्कर्षित किया कि सी0बी0एस0ई0 में कार्यरत पुरूष शिक्षकों में महिला शिक्षिकाओं की तुलना में अधिक जागरूकता पायी जाती है।*

❖ **पायल, कैटी एण्ड हयुख, ऐडल (2017)** ने अपने शोध *''आडेन्टीफाई रूल्स टू रेमिडी फार वायलेशन ऑफ इकोनामिक सोशल एण्ड कल्चरल राइट''* में पाया कि स्काटलैण्ड में अधिकारी के संरक्षण हेतु वैधानिक नियमों की कमी है जिससे मानवीय वस्तुस्थिति में अन्य देशों से काफी अन्तर है।

❖ **नजमुद्दीन (2015)** ने अपने शोध *''अ स्टडी ऑफ सेक्युलर एटिट्यूड अमंग यूथ इन कश्मीर''* में बताया कि धर्मनिरपेक्षता जीवन जीने का एक आसान तरीका है। जिसमें कश्मीरी युवाओं में इसके लिये व्यापक जागरूकता है।

❖ **परमार अमित (2015)** ने अपने शोध *''अ स्टडी आन द कान्सेप्ट ऑफ सेकयुलरिज्म एण्ड राइट टू रिलीजन अन्डर द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन''* में पाया कि समाज में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिये और अवाध रूप से अपने धर्मों का आदर करते हुये दूसरे के धर्मों की इज्जत करनी चाहिये जो हमें संविधान सम्यक प्राप्त होते है।

❖ **जैन योगेश चन्द्र (2011)** ने *अपने निबन्ध पत्र हमारी सामाजिक समस्यायें में साम्प्रदायिकता को सभी समस्याओं के मूल में बताया है। और साम्प्रदायिकता को खत्म करने में धर्मनिरपेक्षता की तरफ अग्रसर होना ही एक सर्वश्रेष्ठ कदम है।*

शोध के उद्देश्य–

❖ प्रस्तुत शोध में भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकार की संकल्पना का अध्ययन करना है।

❖ प्रस्तुत शोध में धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेदों का अध्ययन करना।

❖ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों का अध्ययन करना।

परिभाषिक शब्दावलीः–

मानवाधिकार– ''मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने का एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास एवं निर्माण हेतु आवश्यक है।''

जागरूकता– जागरूकता वह अवस्था है जिससे व्यक्ति सचेत अथवा चेतन रहकर निरन्तर अपने आस–पास के वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है।

धर्मनिरपेक्षता– राधाकृष्णन के अनुसार– ''धर्म निरपेक्षता धार्मिकता को प्रश्रय नहीं देता है अपितु उससे यह प्रतिध्वनित होता है कि राज्य किसी विशेष धर्म द्वारा शासित नहीं होगा। वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता एवं तटस्थता का दूसरा नाम धर्म निरपेक्षता है।'' अतः हम यह कह सकते हैं कि धर्म के प्रति कट्टर न होकर सभी धर्मों को समान समझना, उन्हें उचित सम्मान देना तथा कोई भेदभाव न करना ही धर्मनिरपेक्षता है।''

व्याख्या–

भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हलांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गये है। और ऐसे कई तत्व जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का प्रारम्भ प्रस्तावना से होता है। जो निम्नवत है–

> ***''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति) मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवतह दो हजार छह विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंग्रीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।''***

न

का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द जोड़े गए।

प्रस्तावना के तत्व–

संविधान के अधिकार का स्रोत– प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहीत करता है।

भारत की प्रकृति क्या होगी– प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश होगा।

संविधान का उद्देश्य– इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य होंगे।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द–

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है ये शब्द है– संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इन्हीं शब्दों में सम्पूर्ण संविधान की आत्मा बसी हुयी हैं और इसे अक्षरशः लागू और समाज में पल्वित–पुष्पित करने के लिये संविधान ने बहुत सी अनुसंशाये की है। अतः प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। जिसे संविधान निर्माणकर्ता सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कुछ इस प्रकार कहा है– ''संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।''

संविधान में धर्मनिरपेक्षता से सम्बन्धित प्रावधान–

भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता के पश्चिमी माडल से अलग धर्म निरपेक्षता का वैकल्पिक माडल विकसित किया।

1. भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों की बराबरी का दर्जा प्रदान करने के लिये, क्योंकि भारत में धर्म को व्यक्ति की हैसियत से जोड़ा जाता था जिसकी धार्मिक समरसता से व्यक्तित्व समरसता को साधने का प्रयास किया गया।

2. भारत में राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि भारत में रीति रिवाजों की पैठ इतनी गहरी है कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं थी ध्यातव्य है कि धर्म के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये होता है इन्हीं संदर्भों में राज्य किसी शैक्षिक संस्थाओं जो धर्म से जुड़ी है को अनुदान दे सकती है। धर्म विशेष को मदद दे सकता है। और बाधा भी पहुंचा सकता है।

अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में धर्म व राज्य के अलगाव का अर्थ परस्पर निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धान्तगत दूरी है इसमें राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके या ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचा रहे जिससे राज्य के समानता और सामाजिक न्याय की छवि को खतरा हो।

भारतीय संविधान में प्रारम्भ में धर्म निरपेक्षता का प्रयोग नहीं है। क्यूंकि 42 वें संशोधन द्वारा (1976) में पंथ निरपेक्ष को जोड़ कर व्यवहारगत रूप पूर्ण से चली आ रही सवधर्म समभाव की विचारधारा को सैद्धान्तिक रूप दिया गया और अनुच्छेद 25 से 28 के उपबन्ध धर्म और उपासना के विषय में समानता की प्रत्याभूति देते हैं जो इस प्रकार है–

1. प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा–अर्चना व विश्वास की स्वतन्त्रता की रक्षा करती है।

2. किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी (अनु0–14)।

3. धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। (अनु0–15)

4. सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे (अनु0–16)

5. हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। (अनु0–25)

6. हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से जो अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। (अनु0–26)

7. किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा (अनु0–27)

8. किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिये जाएंगे। (अनु0–28)

9. नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। (अनु0–29)

10. अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। (अनु0–30)

11. राज्य सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। (अनु0–44)

संविधान में मानवाधिकार से संबंधित अवधारणा–

विश्व में मानवाधिकारों के लिये संघर्ष बहुत समय से चलते आ रहे हैं मानवाधिकारों के संघर्ष का प्रथम प्रमाण 1215ई0 घोषणा पत्र के रूप में मिलता है। 1920 में राष्ट्रसंघ का गठन, प्रथम विश्व युद्ध में शांति लीग'' की स्थापना आदि ने मानवाधिकारों को परिलक्षित किया और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संपूर्ण विश्व में बातें तब उठी जब 20वीं सदी के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विश्व बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था और 1946 में रूजवेल्ट द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर मे मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के लिये मूलभूत सिद्धान्तों का मसौदा तेयार करने का कार्य सौंपा जिसे तीन सालों के बाद 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, मानव अधिकार प्राप्त ऐसे न्यूनतम अधिकार हैं जिसमें, स्वतंत्रता, समानता, भयमुक्त, दासतायुक्त जीवन जीने का अधिकार सभी को है। अर्थात् ऐसे मौलिक अधिकार जिसके सभी मानव अधिकारी

है। अबाध रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, खाने–पीने की आजादी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने, काम करने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार मानवाधिकार शब्द को अर्थांकित करते हैं। मानव एवं अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें ''अधिकार'' शब्द का स्पष्टीकरण करते हुये लास्की ने कहा है ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।'' अतः भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है, जो सर्वथा उचित है। इसमें विस्तृत रूप से 'न्यायोचित' मूल अधि0 का उल्लेख किया गया है वास्तव में अधिकारों के संबंध में जितना वृहद वर्णन हमारे संविधान में है वह विश्व के किसी देश में नहीं मिलता फिर वो चाहे अमेरिकी संविधान ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है–

1.	समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)	(a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण (अनु0 14) (b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनु0 15) (c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनु0 16) (d) अश्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है (अनु0 17) (e) सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक (अनु0 18)
2.	स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 19–22)	(a) छः प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा (1) वाक् एवं अभिव्यक्ति (2) सम्मेलन (3) संघ (4) संचरण (5) निवास (6) वृत्ति। (अनु0 19) (b) अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनु0 20) (c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनु0 21) (d) प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार (अनु0 21क) (e) कछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण (अनु0 22)
3.	शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु0 23–24)	(a) बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनु0 23) (b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनु0 24)
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 25–28)	(a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनु0 25) (b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनु0 26) (c) किसी भी धर्म की वृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनु0 27) (d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनु0 28)
5.	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु0 29–30)	(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनु0 29) (b) शिक्षा संस्थायें खोलने और उन पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनु0 30)
6.	सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनु0 32)	मूल अधिकारों प्रवर्तित करने के लिये न्यायालय जाने का अधिकार इसके अन्तर्गत याचिकायें है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2. परमादेश, 3. प्रतिषेध, 4. उत्प्रेषण, 5. अधिकार पृच्छा (अनु0 32)।

उपरोक्त अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान में मानव के अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में 1976 में संविधान का खण्ड 4–अ लाया गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था अनुच्छेद 51अ इंगित करता है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या प्रभागीय विविधताओं से आगे जाकर सामंजस्य तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें, महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध हर रिवाज को तजें, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की कद्र और रक्षा करें, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे भारतीय मूल्यों और अधिकारों का पारंपरिक मेल करके ही इस कर्तव्यों को लागू किया गया जो भारतीय संविधान को उच्च आदर्शों की तरफ ले जाता है। और इसके महत्व को समझाते हुये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहती है कि ''मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्यों, अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिये।''

निष्कर्ष–

निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत, सिद्धान्त और व्यवहार दोनों रूपों में एक बहुल या बहु सामुदायिक समाज है। समाजवेत्ताओं ने भारतीय समाज को विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज समझा है। और इन्हीं आधार भूत सिद्धान्तों पर चलकर हमारे संविधान निर्माताओं ने सनातन परम्पराओं एवं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुये सर्वधर्म समभाव अर्थात धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को ग्रहित किया यह विचार बौद्ध दर्शन, जैन विचारधारा या अकबर की दीन–ए–इलाही, गुरूग्रंथ साहिब का सर्वधर्मपदानि हो या महात्मागांधी की आन्तरिक दार्शनिक प्रतिबद्धताएं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में निश्चय ही असाधारण मानी जाएगी, भारतीय संविधान को समझने के लिए इसकी प्रस्तावना ही काफी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के उच्च आदर्शों को अपनाया गया, और इसे भारत के हर उस अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता की गई है। जो शोषण, असमानता, पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। यह तभी सम्भव है जब हम एक धर्मनिरपेक्ष एवं मानवाधिकार को संरक्षित करने वाला ढांचा तैयार कर सकें। वस्तुतः हम अपने संविधान संरचना के आठ वीं दशक में चल रहे हैं और हमने इसे लागू करने और जनमानस तक इसकी सुलभता काफी हद तक सुनिश्चित किया है। और यह आशा करते हैं कि भारत का हर नागरिक संविधान वर्णित अधिकारों एवं मर्यादाओं को आत्मार्पित करके अपने सभी कार्यों को परिपुष्ट करेगा तभी हमारे वृहद विशाल राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को सहेज कर रखा जा सकता है जिसमें– महात्मा गांधी द्वारा हरिजन के 14 मई 1938 के अंक में लिखी बात पूर्णतः चरित्रार्थ होती है ''यह कहा जाता है कि इस्लाम मनुष्य के भाईचारे में विश्वास करता है। लेकिन यह भाईचारा सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, यह सभी का है इस्लाम का अल्लाह और ईसाईयों का ''गाड'' और हिन्दुओं का भगवान एक ही है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. लक्ष्मीकांत एम0, (2017), भारत की राजव्यवस्था, चेन्नई : मैकग्राहिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. शर्मा, ब्रज किशोर, (2017) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली : PHI learning
3. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0, (2011), भारतीय समाज, इलाहाबाद : शेखर प्रकाशन
4. शर्मा, प्रभुदत्त, (2017) आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास, जयपुर : कालेज बुक डिपो।
5. बावेल, बसंती लाल, (2016) मानवाधिकार, इलाहाबाद : सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन : इलाहाबाद
6. अग्रवाल, एच0ओ0, (2014) मानव अधिकार, इलाहाबाद : सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन।
7. सिंह धरम (2015), मानव अधिकार, भारत बुक सेन्टर, दिल्ली : भारत बुक सेन्टर।
8. वासनिक, के0एच0, (दिसम्बर, 2011) मानव अधिकार : लेख पत्र, रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एण्ड लाइस साइंस, रीवा, म0प्र0 Vol. 11, Year 06, PP. 329-332
9. श्यामवती, (दिस. 2011), भारत में मानव अधिकार : लेख पत्र, रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एण्ड लाईफ साइंस, रीवा म0प्र0 Vol, 11, Year 06, PP. 143-47
10. शर्मा मनीषा, (2017) शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, रिमार्किंग एन एनलाईजेशन, कानपुर, अंक 2, दिसम्बर 2017, पेज 132–139
11. वासनिक, के0एच0, (दिस0 2011) मानवाधिकार और दलित : लेखपत्र, रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंस, रीवा, म0प्र0 Vol. 11, Year 06, PP. 143-147